रजिस्ट्री सं॰ डी॰—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 48] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 1, 1979 (अग्रहायण 10, 1901)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 1, 1979 (AGRAHAYANA 10, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	621
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1511
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	47
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1049
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिसमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2631
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3399
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	417
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	9853
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	689
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2851
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	167

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	621
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1511
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	47
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1049
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations.	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II.—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Adminitrations of Union Territories) ..	2631
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3399
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	417
PART III—SECTION 1.—Notification issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	9853
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	689
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2851
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	167

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 नवम्बर 1979

सं० 56-प्रेज०/79—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मनोहर लाल (स्वर्गीय)
कांस्टेबल सं० 1044/सी,
दिल्ली पुलिस

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

11-2-1978 को स्व० कांस्टेबल मनोहर लाल फिलमीस्तान सिनेमा के निकट जब गश्त पर थे तो उनका ध्यान उन लोगों की चीख पुकार की ओर आकृष्ट किया गया जिन पर 2 गुन्डे चाकू से आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने घटनास्थल से दो युवकों को छुरों सहित भागते हुए देखा। दिन के लगभग 3.45 बजे थे परन्तु किसी ने गुन्डों का पीछा करने का साहस नहीं किया। कांस्टेबल मनोहर लाल ने उन्हें चुनौती दी और उनके पीछे दौड़े। यह पूर्णतः जानते हुए कि वे खतरनाक गुन्डे हैं, अपनी सुरक्षा की कतई परवाह न करते हुए, उन्होंने उनका पीछा किया। गुन्डों ने उनको छुरा दिखाते हुए धमकी दी कि वह उन्हें मार डालेंगे। धमकी के बावजूद, कांस्टेबल मनोहर लाल पीछा करते रहे और गुन्डों में से एक को पकड़ लिया किन्तु उसके साथी ने कांस्टेबल मनोहर लाल के पेट में छुरा घोंप दिया। इसके बावजूद भी उन्होंने बदमाश को पकड़ने का जी तोड़ प्रयास किया परन्तु बदमाश अपने को कांस्टेबल की पकड़ से छुड़ा कर भागने में सफल हो गया। कांस्टेबल बेहोश होकर गिर गए तथा उन्हें विलिंग्डन अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी घायल होने के कारण मृत्यु हो गई। बाद में अपराधियों में से एक पकड़ा गया।

कांस्टेबल मनोहर लाल ने प्रत्यक्ष खतरे के बावजूद अनुकरणीय साहस, वीरता तथा उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया। उन्होंने खतरनाक समाज विरोधी तत्वों को पकड़ने में अपने जीवन का बलिदान दे दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 11 फरवरी, 1978 से दिया जाएगा।

सं० 57-प्रेज/79—राष्ट्रपति, गुजरात पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उस की वीरता के लिय राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अमजत कालू मालेक, (स्वर्गीय)
सशस्त्र द्वितीय ग्रेड हैड कांस्टेबल,
जिला भरूच, गुजरात।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

श्री अमजत कालू मालेक, सशस्त्र द्वितीय ग्रेड हैड कांस्टेबल को दो परिवारों में पुरानी शत्रुता के कारण श्री अब्बास अली मोहम्मद अली से सुरक्षा करने के लिये श्री करीम अली के निवास स्थान पर तैनात किया गया। 2 जुलाई 1978 को श्री अब्बास अली मोहम्मद अली ने एक कुख्यात गुंडे और छ अन्य व्यक्तियों के साथ कुल्हाड़ियों, बरछों, चाकुओं, लाठियों आदि से श्री करीम अली के मकानों पर हमला कर दिया। श्री अमजत कालू मालेक शीघ्रता से मकान के पिछले दरवाजे की ओर बढ़े जहां से आक्रमण हो रहा था। उन्होंने आक्रमणकारियों को तितर बितर हो जाने के लिये चेतावनी दी परन्तु उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और हैड कांस्टेबल पर कुल्हाड़ी से आक्रमण किया। हैड कांस्टेबल ने कुल्हाड़ी के वार को अपनी राईफल की सहायता से रोक लिया। श्री अमजत कालू ने तब आक्रमणकारियों को तितर बितर हो जाने के लिये एक अन्तिम चेतावनी दी। वे वापस गली में चले गये और उन्होंने एक व्यक्ति कादरअली जीवनअली के मकान में शरण ली। कुख्यात गुंडे वसवा ने एक अन्य मकान में शरण ली। हैड कांस्टेबल श्री अमजत कालू मालेक अभियुक्तों का पीछा करते रहे। अचानक वसवा मकान से बाहर आया और श्री अमजत कालू मालेक पर चाकू के दो वार किये एक माथे में और दूसरा पेट में। श्री अमजत कालू मालेक गम्भीर रूप से घायल हो गये और इसके बावजूद कि वे जीवन के लिये संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने साहस नहीं खोया और वसवा पर दो गोली चलाई और उसको घटनास्थल पर मौत के घाट उतार दिया। श्री अमजत कालू मालेक की बाद में घावों के कारण अस्पताल में मृत्यु हो गई।

श्री अमजत कालू मालेक ने वीरता, सूझबूझ का परिचय देते हुए कर्तव्य-पालन में अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 2 जुलाई, 1978 से दिया जाएगा।

सं० 58-प्रेज/79—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री महावीर प्रसाद मिश्र,
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक,
कानपुर,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

पुलिस उप अधीक्षक श्री अजीत सिंह वर्मा को जब वे बिधनू थाने में ठहरे हुए थे, 3 जुलाई, 1975 को सूचना मिली कि एक सशस्त्र अपराधी अपराध करने की नियत से गांव कठारा में घूम रहा है। श्री वर्मा पुलिस दल के साथ जिसमें श्री महाबीर प्रसाद मिश्र भी थे तुरन्त उस गांव की ओर बढ़े और अपराधी को देखकर उसको ललकारा। किन्तु अपराधी आड़ लेने के लिए तुरन्त एक मकान में घुस गया। पुलिस दल मकान में गया और छत पर चढ़ गया। अपराधी अपने छिपने के स्थान से गोली चलाता रहा। तब यह निर्णय किया गया कि अपराधी को पकड़ने के लिये उसके छिपने के स्थान में छत से

एक छेद किया जाए। जब छेद करना आरम्भ किया गया तो अपराधी छिपने के स्थान से खिसक गया;। सहायक उप-निरीक्षक महावीर प्रसाद मिश्र ने अपराधी को पकड़ने के लिए उस पर झपटे किन्तु अपराधी की गोली से वे घायल हो गये। सहायक उप निरीक्षक महावीर प्रसाद मिश्र के प्रयास से पुलिस टुकड़ी को अपराधी पर प्रहार करने और उसे मार गिराने का अवसर मिल गया।

श्री महावीर प्रसाद मिश्र ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए सशस्त्र अपराधी के साथ मुठभेड़ में उत्कृष्ट वीरता एवं साहस का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 जुलाई, 1975 से दिया जाएगा।

सं० 59-प्रेज/79—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री रघुनाथ सिंह (स्वर्गीय)
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला आगरा,
उत्तर प्रदेश।

श्री जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ, (स्वर्गीय)
कांस्टेबल नं० 751
सिविल पुलिस,
जिला आगरा,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

12 दिसम्बर, 1975 को पूर्वाह्न लगभग 11.00 बजे, पुलिस उप-अधीक्षक, श्री जी० के० ग्रोवर को सूचना मिली कि कुख्यात डाकू गोपी काछी अपने गिरोह के कुछ सदस्यों के साथ पुलिस सर्किल बाह, जिला आगरा, गांव घोरंगाहर के निकट गन्ने के खेत में छिपा हुआ है। श्री ग्रोवर ने तुरन्त उपलब्ध एकत्र दल एकत्र किया और उस स्थान की ओर बढ़े। पुलिस दल को तीन टुकड़ियों में बांटा गया। जिनका नेतृत्व स्वयं पुलिस उप-अधीक्षक, थाना अधिकारी श्री सत्यवीर सिंह और उप-निरीक्षक श्री रघुनाथ सिंह द्वारा किया गया। जिस दल का नेतृत्व श्री रघुनाथ सिंह कर रहे थे उसने पहल की और अनुकूल स्थान पर पहुंचने के विचार से डाकुओं के गिरोह की तरफ रेंग कर बढ़ना शुरू किया। श्री रघुनाथ सिंह ने अपराधियों को आत्म समर्पण करने के लिये भी ललकारा परन्तु गिरोह ने जवाब में गोलियों की बौछार की। विचलित न होकर उप-निरीक्षक श्री रघुनाथ सिंह और उसकी टुकड़ी जिसमें कांस्टेबल जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ भी शामिल थे, डाकुओं को गोलीबारी में उलझाए रखने के लिये आगे बढ़े। श्री रघुनाथ सिंह गोपी काछी को गोली से मारने में सफल हो गये परन्तु स्वयं उनके भी गोली लगी और उनकी घटनास्थल पर मृत्यु गई। पुलिस टुकड़ी के शेष सदस्य डाकुओं पर गोली चलाते रहे। मुठभेड़ में कांस्टेबल जगदीश प्रहाद कुलश्रेष्ठ ने अनुकरणीय साहस दिखाया और गोपी काछी के गिरोह के मुख्य सहायक गया राम काछी को गोली से उड़ा दिया। किन्तु गिरोह के अन्य लोग जोकि गन्ने के खेत में छिपे हुए थे, कांस्टेबल जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ पर प्रहार करने में सफल हो गये जिससे उनकी भी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। गिरोह के अन्य लोग खड़ी फसलों, अंधेरे और पास की कंदराओं का लाभ उठाकर बच निकले। गोलीबारी बन्द होने के बाद दो डाकुओं और दो सिपाहियों के शव खेत में बरामद किए गए। मृत डाकुओं के कब्जे से दो बन्दूक और बड़ी संख्या में कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में उप-निरीक्षक रघुनाथ सिंह और कांस्टेबल जगदीश प्रसाद कुलश्रेष्ठ ने उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता, साहस, पहलशक्ति एवं वीरता का परिचय दिया और कर्तव्य पालन में अपने जीवन का बलिदान कर दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 12 दिसम्बर, 1975 से दिया जाएगा।

सं० 60-प्रेज/79—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अमर सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

मुसलमानों के त्यौहार "बारावफात" के अवसर पर लखनऊ में व्याप्त तनाव को ध्यान में रखते हुए लखनऊ शहर को कई क्षेत्रों में बांटा गया और प्रत्येक क्षेत्र का एक राजपत्रित पुलिस अधिकारी के अधीन रखा गया था। प्रत्येक क्षेत्र में एक मजिस्ट्रेट को भी तैनात किया गया था। 3 मार्च, 1977 को पूर्वाह्न लोगों की भारी भीड़ नखास में एकत्रित हो गई और नगर के विभिन्न भागों से सुन्नियों के दल वहां पहुंचने शुरू हो गए। सुन्नियों ने कहा कि वहां स्थित शिया समुदाय के मकानों से उन पर पत्थर फैंके गये। सुन्नी लोग चारों ओर गली कूंचों में घुस गए और शियाओं के मकानों में घुसने की चेष्टा की। श्री अमर सिंह पुलिस उप अधीक्षक जो उस क्षेत्र के प्रभारी थे तुरन्त एक हैड-कांस्टेबल और पांच कांस्टेबलों के साथ घटनास्थल पर भीड़ को रोकने के लिये पहुंचे। स्थिति को कुशलता से संभालने के परिणामस्वरूप पथराव रुक गया। अपनी कर्तव्यों का पालन में उनके माथे और चेहरे पर चोटें आई। इसके बाद उनको सूचित किया गया कि इलाके में कुछ उपद्रवी शियाओं के मकानों में घुस गये हैं और पांचों के दरवाजे तोड़ दिये हैं जिनके भीतर खतरे में है। श्री अमर सिंह तुरन्त इन व्यक्तियों के बचाव के लिए गए। उपद्रवियों में से एक ने श्री अमर सिंह को छुरा घोंपने की कोशिश की किन्तु श्री अमर सिंह ने उससे चाकू छीन लिया।

पुलिस उप-अधीक्षक श्री अमर सिंह ने साम्प्रदायिक स्थिति से निपटने में अपने जीवन को गम्भीर खतरे में डालकर और अनेक व्यक्तियों के जानें बचाकर वीरता का परिचय दिया।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 मार्च, 977 से दिया जाएगा।

सं० 61-प्रेज/79—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री मेहर सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
बिजनौर,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

7 नवम्बर, 1973 को लगभग 20.15 बजे एक पुलिस दल जिसमें जिला बिजनौर के कोतवाली थाने के थानेदार, बिजनौर के आरक्षी निरीक्षक और उप-निरीक्षक मेहर सिंह एक जीप में मेला रोड पर गश्त लगा रहे थे तो उन्होंने बिजनौर की तरफ से आती हुई एक मोटरकार को देखा। जिसे पहले गिरोह ने पिस्तौल दिखा कर रेलवे क्रासिंग के पास लूट लिया था और उसमें बैठे व्यक्तियों को जबरन नीचे उतार दिया। अपराधी स्वयं कार में बैठ गये और ड्राइवर को हल्दौर की ओर चलने को कहा। जब पुलिस की जीप उस कार के समीप आई तो कार के ड्राइवर तफीज अहमद ने अचानक कार को रोक दिया और सहायता के लिये चिल्लाया। पुलिस दल ने अपनी जीप को रोका और कार को घेरने की कोशिश की। कार से बाहर आने के लिए

ललकारे जाने पर अपराधियों ने पुलिस दल पर गोली चलाना शुरू कर दिया और बच निकलने की कोशिश की । श्री मेहक सिंह ने डाकुओं का पीछा किया और उनमें से एक को पकड़ लिया जोकि डाकुओं का सरदार था। परन्तु डाकुओं ने निकट से गोली चलाई और श्री मेहक सिंह को बुरी तरह घायल कर दिया । फिर भी श्री मेहक सिंह ने अपने घावों की परवाह न करते हुए डाकू को पकड़े रखा और सहायता के लिये पुकारा। पुलिस दल ने जो उस समय तक वहां पहुंच गया था डाकुओं के सरदार को उसके दो साथियों सहित पकड़ लिया।

इस मुठभेड़ में पुलिस उप-निरीक्षक श्री मेहक सिंह, ने अपराधियों को पकड़ने में अनुकरणीय साहस और उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 7 नवम्बर, 1973 से दिया जाएगा।

सं० 62-प्रेज/79--राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गोकरन नाथ पांडे,   स्वर्गीय
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक,
इलाहाबाद,
उत्तर प्रदेश।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया ।

3 नवम्बर, 1972 की मध्यवर्ती रात को पुलिस उप अधीक्षक श्री ओ० पी० अग्निहोत्री के नेतृत्व में एक पुलिस दल ने दारागंज, इलाहाबाद में एक जुए के अड्डे पर छापा मारा। जब वे वस्तुओं को अपने कब्जे में ले रहे थे और गिरफ्तारियाँ कर रहे थे तो उन्होने देखा कि मकान मालिक राम प्रसाद और उसके दो लड़के खिसक गए। सहायक उप-निरीक्षक श्री गोकरन नाथ पांडे और उप निरीक्षक श्री आर० पी० त्रिपाठी और एक कांस्टेबल ने उनका पीछा किया। अभियुक्त रामप्रसाद ने अपनी भरी हुई स्वचालित राइफल उठाई और पुलिस दल पर गोली चला दी। श्री गोकरन नाथ पांडे, जीवन को खतरे में डाल कर, उत्कृष्ट साहस का परिचय देते हुए रामप्रसाद पर झपटे और उसको काबू में कर लिया। इसी दौरान उसके लड़के ने अपने पिता से राईफल छीन ली और श्री गोकरन नाथ पांडे पर गोली चला दी। श्री आर० पी० त्रिपाठी और आनन्द शंकर तिवाड़ी, हैड कांस्टेबल भी बन्दूक के छर्रों से घायल हो गए। पुलिस दल के अन्य सदस्यों ने अभियुक्तों को बड़ी मुश्किल से काबू किया। श्री गोकरन नाथ पांडे की अस्पताल जाते हुए घावों के कारण मृत्यु हो गई ।

श्री गोकरन नाथ पांडे, पुलिस सहायक उप-निरीक्षक ने अपने कर्तव्य-पालन में अपने जीवन की सुरक्षा की परवाह न करते हुए उत्कृष्ट वीरता और असाधारण साहस का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 3 नवम्बर, 1972 से दिया जाएगा।

सं० 63-प्रेज/79--राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:--

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री विश्राम सिंह,
कम्पनी कमांडर,
ई कम्पनी, 37वीं बटालियन,
प्रान्तीय सशस्त्र दल कानपुर,
उत्तर प्रदेश ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

15/16 नवम्बर, 1977 की रात को डाकुओं के एक सशस्त्र गिरोह ने कानपुर जिले में बिल्हौर थाने के अन्तर्गत उटारी गांव में श्री छेदी लाल के मकान पर छापा मारा। उन्होंने घर के लोगों को पीटा और यातनाएं दी तथा एक लड़के और एक लड़की, जिनकी आयु क्रमशः 18 तथा 17 वर्ष थी, को मार डाला। गोली चलने की आवाज सुनकर हैड कान्सटेबल श्री उदयवीर सिंह दो कांस्टेबलों सहित तुरन्त घटना स्थल की ओर गये परन्तु जब उन्होंने देखा कि डाकुओं का जो पूर्णतः सशस्त्र हैं सामना करना कठिन है तो वे सहायता प्राप्त करने के लिये तुरन्त ग्रांड ट्रंक रोड की ओर गये। श्री विश्राम सिंह, कम्पनी कमांडर, प्रान्तीय सशस्त्र दल, कानपुर जी० टी० रोड पर अकस्मात उस रास्ते से गुजर रहे थे। उनको हैड कांस्टेबल ने रोका और उन्हें डाका जनी की सूचना दी । श्री विश्राम सिंह अपने व्यक्तियों सहित तुरन्त उस गांव में गये । पुलिस दल को तीन दलों में बांट दिया गया। पुलिस दलों में से एक का नेतृत्व श्री विश्राम सिंह ने किया और वे घर के मुख्य दरवाजे की ओर गये। उन्होंने सीढ़ियां चढ़ने का प्रयत्न किया परन्तु डाकुओं ने उनको देख लिया तथा उन पर गोली चला दी परन्तु श्री विश्राम सिंह बाल बाल बचे । इस बीच उन्होंने साथ के मकान की छत पर 5 डाकुओं को लूटी हुई सम्पत्ति एकत्र करने में व्यस्त देखा । डाकुओं के अन्धाधुंध गोली चलाए जाने से विचलित न होकर श्री विश्राम सिंह दो कांस्टेबलों के साथ छत पर चढ़ गये । डाकुओं में से एक ने उन पर गोली चलाई किन्तु वे गोली लगने से बच गये श्री विश्राम सिंह जी ने दीवार के पीछे सामरिक महत्व का मोर्चा लेने में सफल हो गये । उन्होंने अपनी राइफल से डाकुओं पर गोली चलाई और गिरोह के नेता को मार दिया। मुठभेड़ में दो और डाकू भी मारे गये।

इस मुठभेड़ में श्री विश्राम सिंह, कम्पनी कमांडर ने जीवन के लिए प्रत्यक्ष खतरे के बावजूद अनुकरणीय साहस, उत्कृष्ट वीरता एवं कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 नवम्बर, 1977 से दिया जाएगा।

के० सी० मादप्पा
राष्ट्रपति के सचिव

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 नवम्बर 1979

आदेश

विषय:--कारवाड़ संरचना के 513 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति।

सं० 12012/8/79-प्रोडक्शन--पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उपनियम (1) की धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसको बाद में आयोग कहा जायेगा) के (अपतटीय) कारवाड़ संरचना के 513 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 7-4-1979 से एक वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित बातों पर है:--

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के सम्बन्ध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी:

(i) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कन्डेन्सेट पर 42/- रु० प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी।

(iii) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम मंत्रालय नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को की जायेगी।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, कंडिंग हैड कंडेसेन्ट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्व तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजेगा। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) प्रतिवर्ष लाइसेंस के सम्बन्ध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी।

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिये 4— रुपये
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिये—20 रुपये
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिये—100 रुपये;
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिये—200 रुपये: और
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिये 300 रुपये।

(छ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको सत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के सम्बन्ध में भू-वैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यक्त तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने सम्बन्धी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिये ऐसे उपकरण, सामान्य तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जायेगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिये व्यवहार्य होगा।

अनुसूची "क"

इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत कारवाड़ संरचना (अपतटीय) क्षेत्र आता है और जो अक्षांश 13 47 44" दक्षिण से 14 6 49" उत्तर तथा देशान्तर 73 29 00" पश्चिम से 73 37 15" पूर्व के बीच है और मानचित्र में किनारे के प्वाइंटों अर्थात् ए०, बी० सी और डी० को मिलाते हुए चिह्नित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 513 वर्ग किलो मीटर है।

यह क्षेत्र जहां पर स्थित है उनके प्वाइंट जिन अक्षांश और देशान्तरों पर पड़ते हैं तथा उनके बीच की दूरी निम्नलिखित है :--

बेयरिंग

	अक्षांश			देशान्तर		
	डि०	मि०	से०	डि०	मि०	से०
1. प्वाइंट ए है	13	47	44	73	29	00
2 प्वाइंट बी है	14	6	49	73	29	00
3. प्वाइंट सी है	14	6	49	73	37	15
4. प्वाइंट डी है	73	47	44	73	37	15

भूमि पर मुख्य स्थानों से तब से दूर प्वाइंट की लगभग दूरी निम्नलिखित है :--

कारवाड़	120	किलो मीटर
पंजिम	165	किलो मीटर
होनावाड़	105	किलो मीटर

अनुसूची--ख

अशोधित तेल, कंडिंग हैड कंडेसेन्ट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक विवरण।

कारवाड़ संरचना (अपतटीय) के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस।

क्षेत्रफल--513 वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष

क--अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टन की संख्या	कालम 2 और टिप्पणी 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	
1	2	3	4	5

ख--कंडिंग हैड कंडेसेन्ट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टन की संख्या	कालम 2 और टिप्पणी 3 घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	
1	2	3	4	5

ग--प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं श्री, ----------सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठ से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर

शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर 1979

सं० फा० 1-6/78 खेल-1 (डी०-I):—इस मंत्रालय के दिनांक 9 जून, 1978 के संकल्प सं० एफ० 1-6/78 खेल-1 के अनुसरण और इस मंत्रालय की दिनांक 7 सितम्बर, 1979 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू के शारीरिक शिक्षा निदेशक श्री बी० के० मंगोत्रा को श्री कान्ति चौधरी, जिन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, के स्थान पर तत्काल से 20 जुलाई 1981 तक अखिल भारतीय खेल परिषद का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 29 अक्तूबर 1979

सं० एफ० 1-6/78-एस० पी० I (डी०-I) :—अखिल भारतीय खेल परिषद पुनर्गठन से संबंधित इस मंत्रालय के दिनांक 9 जून, 1978 के संकल्प सं० एफ०-1-6/78-एस० पी० के अनुसरण में तथा इस मंत्रालय की दिनांक 31 मई 1979 के समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में गुजरात के खेल मंत्री श्री बलवन्त लाल सौभाग्य चन्द शाह को अब से 20 जुलाई, 1981 तक श्री पोपट लाल मूलशंकर व्यास जो अब इस राज्य के खेल मंत्री नहीं रहे के स्थान पर गुजरात राज्य खेल परिषद के प्रतिनिधि के रूप में अखिल भारतीय खेल परिषद का सदस्य नामित किया जाता है।

ए० एन० शलवार, उप सचिव

श्रम मंत्रालय

(रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 नवम्बर 1979

सं० डी० जी० ई० टी०-12(1)/78-टी० सी०—भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1, दिनांक 21 अगस्त, 1956 में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) के संकल्प संख्या टी० आर०/ई० पी०-24/56, दिनांक 21 अगस्त, 1956 के पैरा 5 के उप पैरे (ब) से (त) और (ध) समय-समय पर यथा संशोधित, के अनुसार, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, (रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय) की अधिसूचना संख्या डी० जी० ई० टी०-12(3)/74-टी० सी०, दिनांक पहली मार्च, 1975 का अतिक्रमण करके राष्ट्रीय वृत्तिक व्यवसय प्रशिक्षण परिषद में विभिन्न संगठनों, निकायों आदि का प्रतिनिधित्व करने के लिये संबंधित प्राधिकारियों के साथ सलाह करके केन्द्रीय सरकार द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को नामित किया गया है :—

क्रमांक	सदस्य का नाम	प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन
(क) नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन		
1.	श्री उमाकान्त पी० पंडित	एम्पलायर्स फेडरेशन आफ इंडिया।
2.	श्री वरिंद्र आर० किदवाई	सरकारी उद्यमों के स्थाई सम्मेलन
3.	श्री नरेन्द्र कलन्तरी	फेडरेशन आफ एसोसियेशन आफ स्माल इंडस्ट्रीज आफ इण्डिया।
4.	श्री बालकृष्ण अग्रवाल	अखिल भारतीय नियोजक संगठन
5.	प्रोफेसर वी० ई० कामथ	अखिल भारत निर्माता संगठन
(ख) श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधि		
6.	श्री चिमनभाई मेहता	इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस
7.	श्री एस० एन० पाटिल	दि हिन्द मजदूर सभा
8.	श्री मृणाल के० बैनर्जी	दि सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन।
9.	श्री सागर राम गुप्ता	दि नेशनल लेबर आरगेनाइजेशन।
10.	बाद में अधिसूचित किया जायेगा।	
(ग) व्यावसायिक और विज्ञान दलों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ		
11.	श्री राधा रमण	इंस्टीच्यूट आफ एप्लाइड मैनपावर एण्ड रिसर्च।
12.	श्री एस० पी० रमन	इंडियन स्टैण्डर्डस इंस्टीच्यूशन।
13.	प्रोफेसर सी० वी० गोविन्दा राव	नेशनल काऊंसिल आफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग।
14.	ब्रिगेडियर ओ० पी० भाटिया	दि इंस्टीच्यूशन आफ इंजीनियर्स (इंडिया)
15.	डा० बी० के० नायर	काऊंसिल आफ साइंटिफिक एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च।
(घ) अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद के प्रतिनिधि :		
16.	सदस्य सचिव	अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद
(ङ) विशेषज्ञ :		
17.	श्री रनछोर प्रसाद	विशेषज्ञ
18.	श्री ए० एस० लाल	विशेषज्ञ
(च) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि।		
19.	बाद में अधिसूचित किया जायेगा।	अनुसूचित जाति
20.	बाद में अधिसूचित किया जायेगा।	अनुसूचित जनजाति
(छ) अखिल भारतीय महिला संगठनों के प्रतिनिधि :		
21.	डा० (श्रीमती) लक्ष्मी रघुरम्मैया	अखिल भारत महिला सम्मेलन

के० एस० बरोई, उप सचिव

PRESIDENTS SECRETARIAT

New Delhi, the 22nd November 1979

No. 56-Pres/79.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

Name and rank of the officer

Shri Manohar Lal, (*Deceased*)
Constable No. 1044/C,
Delhi Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 11th February, 1978, Constable Manohar Lal was on patrol duty near Filmistan Cinema when his attention was drawn to a hue and cry raised by people because goondas brandishing knives were trying to attack them. He saw two youngmen running from the scene with open daggers. It was about 3.45 PM but none of the people had the courage to chase the goondas. Constable Manohar Lal challenged them and ran after them. Knowing that they were desperadoes, in utter disregard of this own safety, he gave chase. The goondas brandished a dagger at him and threatened that they would do him to death. Despite

this threat. Constable Manohar Lal kept up the chase and over-powered one of them. His associate, however, stabbed Constable Manohar Lal in the abdomen. Despite this he made a desperate bid to hold on to the miscreant, but the miscreants managed to free himself from the grip of the Constable and fled away. The Constable fell unconscious and was removed to the Willingdon Hospital where he succumbed to his injuries on 15th February, 1978. One of the accused was apprehended later on.

Constable Manohar Lal displayed exemplary courage, gallantry and devotion to duty of a very high order in the face of imminent danger. He sacrificed his life in order to apprehend desperate anti-social elements.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from the 11th February, 1978.

No. 57-Pres/79.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Gujarat Police :—

Name and rank of the officer

Shri Amjat Kalu Malek, (*Deceased*)
Armed II. Grade Head Constable,
District Bharuch,
Gujarat.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Shri Amjat Kalu Malek, Armed II Grade Head Constable was posted at the residence of one Shri Karimali in order to afford him protection from one Shri Abbasali Mohmadali because of an old enmity between the two families. On the 2nd July, 1978 when Shri Abbasali Mohmadali along with a notorious bully and six other persons attacked Shri Krimali's house with axes, spears, knives, lathis, etc. Shri Amjat Kalu Malek immediately rushed to the back door of the house which was under attack. He warned the assailants to disperse but they did not pay any heed, instead they attacked the Head Constable with an axe. The Head Constable averted the axe blow with the help of his rifle. Shri Amjat Kalu then gave a last warning to the assailants to disperse. They however retreated into lane and took shelter in the house of one Kadarali Jivanali. The notorious bully Vasava took shelter in another place. Shri Amjat Kalu Malek continued to follow the accused. Suddenly Vasava came out of the house and gave two knife blows to Shri Amjat Kalu Malek, one on the forehead and the other in the stomach. Shri Amjat Kalu was seriously injured and even though he was struggling for life he fired two rounds at Vasava and killed him on the spot. Shri Amjat Kalu Malek later on succumbed to his injuries in the hospital.

Shri Amjat Kalu Malek displayed gallantry, presence of mind and sacrificed his life in discharge of his duties.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 2nd July, 1978.

No. 58-Pres/79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Mahabir Prasad Misra,
Assistant Sub Inspector of Police,
Kanpur,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

While camping at Police Station Bidhnoo on the 3rd July, 1975, Shri Ajit Singh Verma, Deputy Superintendent of Police received information that an armed criminal was wandering in Kathara village with intention of committing crime. Shri Verma along with a Police Party including Shri Mahabir Prasad Misra rushed to the village and on seeing the criminal, challenged him. The criminal, however, rushed into a house for cover. The Police party entered the house and climbed on the roof. The criminal went on firing from his hide-out. It was then decided that a hole should be dug into the hide-out to get at the criminal. When the digging started, the criminal slipped out of the hide-out. Assistant Sub-Inspector Mahabir Prasad Misra pounced on him to apprehend him but was shot by the assailant. Assistant Sub Inspector Mahabir Prasad's intervention gave an opportunity to the police party to shoot the criminal dead.

Shri Mahabir Prasad Misra exhibited conspicuous gallantry and courage in the encounter with an armed criminal in disregard of his personal safety.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd July, 1975.

No. 59-Pres./79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer(s) of the Uttar Pradesh Police:—

Name and rank of the officers

Shri Raghunath Singh, (Deceased)
Sub-Inspector of Police,
District Agra,
Uttar Pradesh.

Shri Jagdish Prasad Kulshrestha, (Deceased)
Constable No. 751,
Civil Police,
District Agra,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration have been awarded.

At about 11 A. M. on the 12th December, 1975 information was received by Shri O. K. Grover Deputy Superintendent of Police that Gopi Kachia notorious dacoit alongwith other members of his gang was hiding in a sugarcane field near Chaurangahar village, Bah Police Circle, Agra District. Shri Grover immediately collected the available police force and rushed to the spot. The police force was divided into three parties, headed by the Deputy Superintendent of Police himself, Shri Satyavir Singh Chauhan, Station House Officer and Sub-Inspector Shri Raghunath Singh. The party led by Shri Raghunath Sing took the initiative and started crawling towards the dacoit gang to take up an advantageous position. Shri Raghunath Singh also challenged the criminals to surrender. This was replied to with a volley of fire. Undaunted Sub-Inspector Raghunath Singh alongwith Constable Jagdish Prasad Kulshrestha moved forward to engage the dacoits. Shri Raghunath Singh was successful in shooting down Gopi Kachi but was himself hit and was killed on the spot. The remaining members of the police party continued to fire at the dacoits. In the encounter, Constable Jagdish Prasad Kulshrestha showed exemplary courage and shot down Gaya Ram Kachi, the Chief Lieutenant of the Gopi Kachi gang. However, other members of the gang who were hiding in the sugarcane field managed to hit Constable Jagdish Prasad Kulshrestha and he was also killed on the spot. The other members of the gang managed to escape taking advantage of the standing crops, darkness and the vicinity of the nearby ravines. After the firing died down the dead bodies of the two dacoits and the two policemen were recovered from the field. Two guns and a large number of cartridges were recovered from the person of the dead dacoits.

In this encounter, Sub-Inspector Raghunath Singh and Constable Jagdish Prasad Kulshrestha displayed a high sense of duty, courage, initiative and bravery, and laid down their lies in the discharge of their duty.

2. These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 12the December, 1975.

No. 60-Pres/79.—The President is pleased to award the Bar to the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Amar Singh,
Deputy Superintendent of Police,
Lucknow,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

In view of tension prevailing in Lucknow on the occasion of the 'Barawafat' festival celebrated by Muslims, the Lucknow city was divided into several zones and each zone was placed in the overall charge of a gezetted police officer. A Magistrate was also posted in each zone. In the forenoon of 3rd March, 1977, a large crowd had assembled at Nakhas when groups of Sunnis from different parts of the city started arriving there. It was alleged by them that brick-bats were hurled on them from the houses of the Shia community situated around the area. The Sunnis scattered and entered into the lanes and by-lanes and tried to enter the Shia houses. Shri Amar Singh, Deputy Superintendent of Police who was incharge of that zone, immediately rushed to the scene alongwith a Head Constable and five Constables to prevent the crowd. As a result of his tactful handling of the situation, brickbatting was checked. While performing his duties, he received injuries on his forehead and face. Thereafter, he was informed that some of the trouble-makers had entered Shia houses in the locality and had broken open the doors of five of them. Shri Amar Singh immediately rushed to the rescue of these persons. One of the rioters attempted to stab Shri Amar Singh with a knife but Shri Amar Singh snatched the knife.

Shri Amar Singh, Deputy Superintendent of Police exhibited gallantry at a grave risk to his life in dealing with a communal situation and saved the lives of a number of persons.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd March, 1977.

No. 61-Pres/79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Mehak Singh,
Sub-Inspector of Police,
Bijnor,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the 7th November, 1973 at about 20.15 hours when a police party consisting of the Station Officer, Kotwali Police Station, Bijnor District, Reserve Inspector Bijnor and Sub-Inspector Mehak Singh were patrolling on Mela Road in jeep, they noticed a car approaching from Bijnor. This car had earlier been looted by gangsters near the railway crossing at pistal point and occupants made to get down from the car. The gangsters then occupied the car and instructed the driver to drive it towards Hardwar. When the police jeep came close to the looted car, the driver of the car, Nafis Ahmad suddenly stopped the car and shouted for help. The police party stopped their jeep and tried to cordon off the car. When challenged to come out of the car the desparadoes opened fire on the police party and tried to escape. Shri Mehak Singh chased the dacoits and apprehended one of them who happened to be the ring leader. The dacoits, however, fired at point-blank range and badly injured Shri Mehak Singh. In disregard of his injury, he caught hold of the dacoit and shouted for help. The police party which had reached there by that time, apprehended the leader of the gang along with two of his associates.

In this encounter, Shri Mehak Singh, Sub Inspector of Police exhibited exemplary courage and conspicuous gallantry in apprehending the culprits.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 7th November, 1973.

No. 62-Pres/79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Gokaran Nath Pandey, (Deceased)
Assistant Sub Inspector of Police,
Allahabad,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

At mid-night on the 3rd November, 1972, a police party led by Deputy Superintendent of Police, Shri O. P. Agnihotri raided a gambling den situated in Daraganj Allahabad. While they were making seizures and arrests, they noticed that the owner of the premises Ram Prasad and his two sons had slipped away. Assistant Sub Inspector, Shri Gokaran Nath Pandey, Sub Inspector, Shri R. P. Tripathi and a Head Constable chased them. Accused Ram Prasad picked up his loaded automatic rifle and fired at the police party. Shri Gokaran Nath Pandey, exposing himself to great risk, displayed courage of a high order and pounced upon Ram Prasad and overpowered him. In the meantime his son snatched the rifle from his father and shot Shri Gokaran Nath Pandey. Shri R. P. Tripathi and Shri Anand Shanker Tewari, Head Constable also received gun shot injuries. The other members of the police party overpowered the accused persons with great difficulty. Shri Gokaran Nath Pandey succumbed to his injuries on his way to the hospital.

Shri Gokaran Nath Pandey, Assistant Sub Inspector of Police exhibited conspicuous gallantry and exceptional courage in disregard of his personal safety while discharging his duties.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 3rd November 1972.

No. 63-Pres/79.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Bishram Singh,
Company Commander,
'E' Company, XXXVII Bn.,
Pradeshik Armed Constabulary,
Kanpur,
Uttar Pradesh.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On the night of the 15th/16th November, 1977, an armed gang of dacoits raided the house of Shri Chhedi Lal in Uttari village, Bilhaur Police Station of Kanpur District. They beat up and tortured the inmates of the house and killed one boy and one girl aged 18 and 17 years respectively who tried to resist. On hearing the gun-shots, Shri Udaibir Singh, Head Constable along with two constables rushed to the scene of the incident but when he found it difficult to face the heavily armed dacoits, he rushed towards the Grand Trunk Road to seek assistance. Shri Bishram Singh, Company Commander of Provincial Armed Constabulary, Kanpur happened to pass that way on the G.T. Road. He was stopped by the Head Constable and was informed about the commission of the dacoity. Shri Bishram Singh immediately rushed to the village along with his men. The Police force was divided into three parties. Shri Bishram Singh headed the police party and proceeded towards the main door of the house. He attempted to climb the stairs but the dacoits spotted him and fired at him. Shri Bishram Singh however escaped being hit. In the meantime, he noticed 5 dacoits on the roof of the adjoining house who appeared to be busy in collecting the looted property. Undaunted by the indiscriminate firing by the dacoits, Shri Bishram Singh climbed on to the roof along with two constables. One of the dacoits fired at him but he again escaped being hurt. Shri Bishram Singh was

able to take a tactical position behind the wall of the staircase. He fired at the dacoits with his rifle and killed the leader of the gang. Two more dacoits were also killed in the encounter.

In this encounter Shri Bishram Singh, Company Commander exhibited exemplary courage, conspicuous gallantry and devotion to duty inspite of imminent danger to his own life.

2. This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 15th November, 1977.

K. C. MADAPPA, Secy. to the President

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPTT. OF PETROLEUM)

New Delhi, the 6th November 1979

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence for Karwar structure area measuring 513 sq. kms.

No. 12012/8/79-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commission) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for one year from 7th April, 1979 in Karwar structure (offshore) area measuring 513 sq. kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum,

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. 42/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Cetnral Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil easing head condensate and natural gas obtained during the preceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6,000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or party thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence;

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of rule 11 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of demage due to the fire.

(j) This exploration Licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum exploration licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

SCHEDULE A

The area covered by this Petroleum Exploration licence falls in Karwar structure (offshore) area and lies between the latitudes 13° 47′ 44″ South to 14° 6′ 49″ North and longitudes 73° 2′ 00″ west to 73° 37′ 15″ East and is delineated on the map by the line joining the corner Points at ABC & D and measures 513 sq. kms area. The latitudes and longitudes on which the Points covering the area fall and the distance in between them are as follows :—

	Bearing	Latitudes		Longitudes		
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.
1. Point A is at =	13	47	44	73	29	00
2. Point B is at =	14	6	49	73	29	00
3. Point C is at =	14	6	49	73	37	15
4. Point D is at =	13	47	44	73	37	15

Approximate distances of farthest point from three prominent places on land is as follows :—

Karwar	= 120 Kms.
Panjim	= 165 Kms.
Honawar	= 105 kms.

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for Karwar structure area

Area measuring 513 sq. kms.

Month and Year

A—Crude Oil

Total No. of Metric tonnes obtained.	No. of Metric tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir.	No. of Metric tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Government.	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3.	REMARKS
1	2	3	4	5

B—Casing head condensate

Total number of Metric tonnes obtained	No. of Metric tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	Qo. of Metric tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government.	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 & 3.	REMARKS
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total number of cubic metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir.	Number of cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government.	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3.	REMARKS
1	2	3	4	5

I, Shri——————————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order and in the name of the President of India.

Mrs. KIRAN CHADHA, Under Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & CULTURE

(DEPTT. OF EDUCATION)

New Delhi, the 17th October 1979

No. F. 1-6/78-SP. I(D. I).—In pursuance of this Ministry Resolution No. F. 1-6/78-SP. I. dated the 9th June, 1978 and in continuation of this Ministry's Notification of even number dated the 7th September, 1979 Shri B. K. Magotra, Director Physical Education, University of Jammu, Jammu is hereby appointed as a member of the All India Council of Sports with immediate effect and until 20th July, 1981 *vice* Shri Kanti Chaudhuri resigned.

The 29th October 1979

No. F. 1-6/78-SP. I(D. I).—In pursuance of this Ministry's Resolution No. F. 1-6/78-SP. I, dated the 9th JJune, 1978 reconstituting the All India Council of Sports & in continuation of this Ministry's Notification of even number dated the 31st May, 1979. Shri Jashvantlal Subhagyachand Shah, Minister of Sports, Gujarat is nominated as the member of the All India Council of Sports with immediate effect and until 20th July, 1981 as nominee of the Gujarat State Sports Council *vice* Shri Popatlal Mulshankar Vyas who now ceases to be Minister of Sports in the State.

A. S. TALWAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF LABOUR

New Delhi, the 9th November 1979

No. DG E&T-12(1)/78-TC.—In pursuance of Sub-paragraphs (f) to (k) and (n) of paragraph 5 of the Government of India, Ministry of Labour (Directorate General of Employment and Training), Resolution No. TR/EP-24/56 dated 21st August, 1956, published in Gazette of India, Part I, Section I, dated the 21st August 1956, as amended from time to time in supersession of Notification No. DGET-12(3)/74-TC dated the 1st March, 1975 of the Government of India, Ministry of Labour (Directorate General of Employment and Training), the following persons have been nominated by the Central Government in consultation with the authorities concerned to represent the various organisations, bodies etc., on the National Council for Training in Vocational Trades:

Sl. No. (1)	Name of the Member (2)	Organisation representing (3)
(A) Representatives of Employers' Organisations		
1.	Shri Umakant P. Pandit	Employers' Federation of India.
2.	Shri Waris R. Kidwai	Standing Conference of Public Enterprises.
3.	Shri Narendra Kalantri	Federation of Association of Small Industries of India.
4.	Shri Balkrishna Aggarwal	All India Organisation of Employers.
5.	Prof. V. B. Kamath	All India Manufacturers' Organisation.
(B) Representatives of Workers' Organisations		
6.	Shri Chimabbhai Mehta	The Indian National Trade Union Congress.
7.	Shri S. N. Patil	The Hind Mazdoor Sabha.
8.	Shri Mrinal K. Banerjee	The Centre of Indian Trade Unions.
9.	Shri Sagar Ram Gupta	The National Labour Organisation.

(1)	(2)	(3)
10.	To be notified later	
(C)	**Representatives of Professional and learned Bodies and Experts.**	
11.	Shri Radha Raman	Institute of Applied Manpower and Research.
12.	Shri S. P. Raman	Indian Standards Institution.
13.	Prof. C. V. Govinda Rao	National Council of Educational Research and Training.
14.	Brig. O. P. Bhatia	The Institution of Engineers (India).
15.	Dr. B. K. Nayar	Council of Scientific and Industrial Research.
(D)	**Representative of the All India Council for Technical Education.**	
16.	Member Secretary	All India Council for Technical Education.
(E)	**Experts**	
17.	Shri Ranchor Prasad	Expert.
18.	Shri A. S. Lall	Expert.
(F)	**Representatives of the Scheduled Castes & Scheduled Tribes**	
19.	To be notified later	Scheduled Castes.
20.	To be notified later	Scheduled Tribes.
(G)	**Representative of All India Women's Organisations.**	
21.	Dr. (Mrs.) Lakshmi Raghuramaiah	All India Women's Conference.

K. S. BARO ecy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979